

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(301/17)2018/एफसीए/प्रमुवसं/ 2808 दिनांक 30.9.2020

मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय:—Diversion of 700.347 ha. forest land in favour of EXECUTIVE
ENGINEER WR DIV KOTA for Navnera Barrage across River
Kalisindh near village Abra Tehsil Digod Distt Kota (Rajasthan)
under Eastern Rajasthan Canal Project (ERCP) Phase-I(A) (प्रस्ताव
सं. FP/RJ/IRRIG/35905/2018)

संदर्भ:—मुख्य वन संरक्षक, कोटा का पत्रांक 4549 दिनांक 21.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि जिला कलेक्टर, बारां के पत्रांक 1125 दिनांक 16.03.2020 एवं जिला कलेक्टर, कोटा के पत्रांक 2228 दिनांक 16.09.2020 जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है, का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि जिला कलेक्टर्स द्वारा वन भूमि के समतुल्य दी जाने वाली गैर वनभूमि हेतु स्वीकृति के लिए राज्य सरकार, को पत्र लिखा गया है जबकि जिला कलेक्टर्स को उक्त गैर वनभूमि की जमाबंदी के अनुसार खसरावार सूची तैयार कर भूमि वन विभाग के नाम सेट-अपार्ट करने के आदेश जारी किये जाने चाहिए।

अतः दी जाने वाली गैर वनभूमि को जिला कलेक्टर्स से वन विभाग के पक्ष में सैट-अपार्ट करवाकर आदेश की प्रति मय जमाबन्दी प्रस्तुत करें।

भवदीय,

(अरिजीत बनर्जी)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(301/17)2018/एफसीए/प्रमुवसं/

दिनांक

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:—

1. जिला कलेक्टर, कोटा/बारां।
2. उप वन संरक्षक, बारां/कोटा।
3. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड—कोटा।

(पी. सी. कुमावत)

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर